फारम– VIII –क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या– 8(4)

आपके आवेदन संख्या– 01, तिथि– 14/08/2015 के संदर्भ में श्रीमती/श्री रामोतार सुलतानियां, साकार कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० के लिए

(क) मल्टीप्लेक्स भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

बेगूसराय नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित बेगूसराय नगर निगम विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ..... प्लौट नं0 (सी0एस0) ..... प्लॉट नं0 (एम0एस0पी0) 299 से 305 एवं 308 ——— खाता नं0 12, 35 एवं 178 होल्डिंग नं0 X मौजा/गांव महमदपुर रघुनाथपुर मोहल्ला कपसिया (नगर) वार्ड नं0 10 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :–

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2199.85 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 09 (नौ) मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ बेगूसराय नगर निगम/आयोजना क्षेत्र में N/A मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बात साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/ हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

15/9/15

आदेशानुसार

नगर आयुक्त

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार

ज्ञापांक 3131 /दिनांक 15/9/15 /

प्रतिलिपि :– अनुमोदित योजनाओं की तीन (03) प्रतियों के साथ श्रीमती/श्री रामोतार पुरानिया, साकार कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, बेगू० को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपि :– योजना की अनुमोदित प्रति के साथ बेगूसराय नगर निगम विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित ..... आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगम क्षेत्र को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपि :– नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, बिहार, पटना को अग्रसारित।

15/9/15

आदेशानुसार

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार

Form No. XXIX Miscellaneous Receipt

बेगूसराय नगरनिगम A/C नन मे जमा

No. 13686 दिनांक 15/9/15

G.P.P. Patna city

श्री रामोतार सुततानिया न० सुदीप कुमार

निवास स्थान बेगूसराय न० पटना

किस मद के लिए नक्सा स्वीकृति शुल्क / साकार कंस्ट्रक शन / प्रति०

रूपया (अक्षरों में) दो लाख संतावन हजार छः सौ तैरासी रु० मात्र

रू० 257683=00

15/9/15

खज़ाँची

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
बेगूसराय नगरनिगम